न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 41/2023 बउनवानी रामजीलाल मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार निवासर शास्त्री नगर खेरदा,स0मा0

GCMS No-2023/62

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 5.4.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. मार्च,2018 से अप्रेल,2018 तक बटर सीटो की प.म. वार वितरण की दिनांक की प्रमाणित प्रति
2. दिनांक 1.1.2018 से 31.5.2018 तक तहसील के समस्त प.म. की सेग्रीगेशन जमाबन्दी मे अपवादित खातो की प.म. बार संख्या की प्रति तथा प.म. अक्षयगढ के अपवादित खातो की प्रति।
3. सन् 2018 मे डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत बीस साला सीटो के अनुरूप बटर सीट पूर्ण होने वाले पटवार मण्डल का नाम की प्रमाणित प्रति।
4. बटर शीट पूर्ण न होने पर पटवारियो को जारी नोटिस पटवारियो द्वारा पेश किये गये जवाब तथा तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति।
5. डीआईएलआरएमपी योजना में बीस साला सीटो के अनुरूप बटर सीट पूर्ण करने वाले पटवार मण्डल का नाम सीटो की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा जवाब नोटिस कमांक/एलआर/23/3501 दिनांक 17.7.23 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 के बिन्दु संख्या 1लगायत 5 पर चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार के पत्रांक कमांक/एलआर/23/3500 दिनांक 17.7.2023 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को मात्र बिन्दु संख्या 4 की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवायी गयी है। शेष बिन्दु संख्या 1,2,3 की सूचना उपलब्ध नही करवाने का कोई युक्तिसंगत कारण नही बताया गया है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना जिला कार्यालय से संबंधित होना बताया गया है किन्तु अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तत्समय अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला कार्यालय को अन्तरित किये जाने संबंधी कोई तथ्य अपने जवाब में अंकित नही किया है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनियमितता की श्रेणी मे आता है। अतः लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर नियमानुसार समयावधि में निस्तारित किया जावे। एवं बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे। न्यायहित में प्रभारी अधिकारी भू.अ. को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 5 मे चाहे गये पटवार मण्डल का नाम अपीलान्ट को 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शामिल होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner